तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 74/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
29.11.2024	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी दिनेश कुमार माली पुत्र श्री ताराचन्द माली, निवासी– स्कूल मैदान के पास, सरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म भारती एन्टरप्राईजेज, पुराना बस स्टेण्ड़, सरुपगंज, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी दिनेश कुमार माली के विरुद्ध श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 18.8.2021 को फर्म भारती एन्टरप्राईजेज, पुराना बस स्टेण्ड़, सरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता दिनेश कुमार माली पुत्र श्री ताराचन्द माली से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Snacks (Samrat Brand) का नमूना संख्या S-1468 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./502/Act/2021/600 दिनांक 27.8.2021 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी दिनेश कुमार माली को नोटिस जारी कर पंजीकृत ड़ाक से तामिल करवाया गया, लेकिन प्रतिवादी दिनेश कुमार माली को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुआ एवं न ही प्रतिवादी दिनेश कुमार माली की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। अतः प्रकरण में प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी उपस्थित नही हुये। अतः प्रकरण का पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार गुणावगुण पर विधि अनुरुप निरस्त किया जा रहा है। हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 18.8.2021 को फर्म भारती एन्अरप्राईजेज, पुराना बस स्टेण्ड़, सरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में खाद्य पदार्थो के निरीक्षण के दौरान फर्म भारती एन्अरप्राईजेज की दुकान के अन्दर आलमारी की रेक में आमजन के बिक्री हेतु रखे हुये खाद्य पदार्थ Snacks (Samrat Brand) के एक–एक किलोग्राम के 6 पैकड पाउचेज में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की सूचना प्रपत्र 5ए में गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रतिवादी विक्रेता दिनेश कुमार माली को भरकर दी एवं गवाह व विक्रेता की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ Snacks (Samrat Brand) के एक–एक किलोग्राम के 4 पैक्ड पाउचों को कीमतन क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 760 / – (अक्षरे रुपये सात सौ साठ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता को अदाकर खरीद / रसीद बिल .....लगातार	

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

तारिख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **F.S.S.Act Case No. 74/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

प्राप्त किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबलों पर खाद्य पदार्थ का नाम Snacks (Samrat Brand), नमूना लेने का स्थान, तारीख, अभिहित अधिकारी के कोड एवं क्रमांक आदि अंकित किये। प्रत्येक लेबल पर प्रतिवादी विक्रेता दिनेश कुमार माली व गवाह के हस्ताक्षर करवाते हुए श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये गये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने इन लेबलों को Snacks (Samrat Brand) के एक–एक किलोग्राम के खरीदशुदा चारों पैक्ड पाउचों पर नियमानुसार चिपकाया एवं चारों नमूनों पाउचों/भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सील चपडी किया। तत्पश्चात् खाद्य पदार्थ Snacks (Samrat Brand) के चारों नमूना पाउचों/भागों को अपने स्वयं के कब्जे/जाप्ते में लेकर मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता दिनेश कुमार माली व गवाह तथा श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 19.8.2021 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री प्रवीण कुमार, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 18.8.2021 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म भारती एन्टरप्राईजेज, पुराना बस स्टेण्ड़, सरुपगंज, तहसील–पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता दिनेश कुमार माली से खाद्य पदार्थ Snacks (Samrat Brand) के एक–एक किलोग्राम के पैक्ड पाउचो को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Snacks (Samrat Brand) के नमूना संख्या S-1468 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक: L.S./502/Act/2021/600 दिनांक 27.8.2021 में खाद्य पदार्थ Snacks (Samrat Brand) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी दिनेश कुमार माली ने प्रकरण की

......लगातार

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 74/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

अनुसंधान के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य पदार्थ Snacks (Samrat Brand) के एक–एक किलोग्राम के पैक्ड पाउचों के खरीद का बिल प्रस्तुत नही किया गया। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी दिनेश कुमार माली ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Snacks (Samrat Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः हस्तगत न्याय निर्णयन आवेदन विरुद्ध प्रतिवादी अन्र्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को स्वीकार किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Snacks (Samrat Brand) के विक्रय हेतु प्रतिवादी विक्रेता दिनेश कुमार माली पुत्र श्री ताराचन्द माली, स्कूल मैदान के पास, सरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म भारती एन्टरप्राईजेज, पुराना बस स्टेण्ड़, सरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 35,000/– (अक्षरे रुपये पैतीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी दिनेश कुमार माली पुत्र श्री ताराचन्द माली, स्कूल मैदान के पास, सरुपगंज, तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 07.01..2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)